भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH **अनुबन्धपत्र** 12 FEB 2019 EM

प्रथमपक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद फिरोजाबाद।

द्वितीय पक्ष मैसर्स कृष्णा ट्रेवल्स, 2/431 सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **एम0 एण्ड0 ई0 कार्यक्रम** के सम्बन्ध में आज दिनांक 25.01.2019 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। इस अनुबन्ध की अवधि **आदेश की तिथि से दो वर्ष तक/नई निविदा** की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एम0 एण्ड ई0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था ई–निविदा में दी गयी शर्तो के अनुसार करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा:–

I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध मे अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नही किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- वाहन और चालक पूर्व निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाऐं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।
- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण होना चाहिए सिद्व अखंडता, स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों/सहायको किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/अनैतिक पृष्ठ भूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यो से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यो मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।

क्रमशः पेज 02 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

कृष्णा ट्रेवल्स
प्रोपाइटर

चालक टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए.

- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों मे चालक के वेतन/ईधन पर व्यय/अन्य अनुशागिंक व्यय सहित चालकों के साथ मोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर/जी0एस0टी0 कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तंक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईधन की कीमत में वृद्वि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्ष को रूपये 900.00 प्रतिदिन प्रति ईकाई की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये 70000/– एफ0डी0आर0 संख्याः–37794205921 दिनांक 06.07.2018 एवं रू0 230000/– एफ0डी0आर0 संख्याः–629707 दिनांक 21.02.2019 की धरोहर राशि पूर्व में जमा है, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान देयक ई–निविदा में स्वीकृत दरें के अनुसार प्रतिमाह/प्रति वाहन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा।
6. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा जनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
7. प्रथम पक्ष द्वारा ई–निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या प्रपत्रों के सदेहात्मक होने पर या भिन्नता होने पर अथवा वाहन के प्रपत्र अन्य निविदा में प्रयोग होने पर अनुबन्ध तत्काल समाप्त हो जायेगा एवं प्रथम पक्ष किसी भी भुगतान प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा तथा जमा धरोहर धनराशि जब्त कर जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद के खाते में जमा कर दी जायेगी।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तष्टीकरण का जबाद संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
9. निविदा से सम्बन्धित यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निविदादाता से कोई वसूली करनी है तो निविदादाता द्वारा जमानत धनराशि अथवा उसके देयक, चल या अचल सम्पत्ति से जब्त कर ली जायेगी।
10. जमा जमानत धनराशि निविदा अवधि की सफलता पूर्वक समाप्ति एवं निविदादाता पर अवशेष धनराशि रहने पर समाप्ति की दिनांक से 6 माह पश्चात वापिस की जायेगी।

स्थानः–फिरोजाबाद।

दिनांकः–

हस्ताक्षर........
Chief Medical Officer Firozabad
(प्रथम पक्ष)

गवाह

1. रोहित शर्मा
रोहित शर्मा पुत्र श्री नरेश बाबू शर्मा
नि० म० 5055 मथुरा नगर फिरोजाबाद

2. ....
राजेश कुमार S/o श्री बाबूराम
नि० ... के पास हिमायूँपुर
थाना दक्षिण फिरोजाबाद

कृष्णा ट्रेवल्स
हस्ताक्षर ....
(द्वितीय पक्ष)
प्रोप्राइटर

GSTIN : 09BYXPS0563G2ZP
Reg.- BYXPS0563GSD001
L.D. Reg.- UPSA17707604

M/s Krishna Travels

Mob- 8532961024
9411964957

Government Contractor & Suppliers
2/431, Suhag Nagar, FIROZABAD - 283 203 (U.P.)

Ref. No.

Date 01-03-2019

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
फिरोजाबाद।

महोदय,

आपके पत्रांकः–मु0चि0अ0 / एम0एण्ड0ई0 / वाहन / का0दे0 / 2018–19 / 7818 दिनांक 26.12.2019 के क्रम में सभी ब्लॉक / कार्यक्रम में निम्न सूचीवार वाहन दिनांक 01.03. 2019 को उपलब्ध करा दिये गये है जो निम्नवत् है–

S.NO.	VEHICLE NO.	VEHICLE MODEL	CURRENT PLACE	PROGRAMME NAME
1	UP83AT6515	ETIOS	TUNDLA	M&E
2	UP83BT2901	EECO	USSAINI	M&E
3	UP83AT6904	EECO	KOTLA	M&E
4	UP83BT1010	EECO	KHAIRGARH	M&E
5	UP83AD6037	OMNI	DHANPURA	M&E
6	UP83BT7071	EECO	MADANPUR	M&E
7	UP81BT5775	EECO	ARAON	M&E
8	UP83AT9377	OMNI	JASRANA	M&E
9	UP83AT4962	OMNI	EKA	M&E
10	UP83BT1965	BOLERO	DPMU	M&E
11	UP83AT3823	OMNI	DTO OFFICE	RNTCP
12	UP83BT4189	SWIFT DEZIRE	CMO OFFICE	IDSP
13	UP83AT1569	TATA SUMO	CMO OFFICE	M&E
14	UP83BT7077	EECO	CMO OFFICE	M&E

2256
Yogendra

उक्त सूचना सादर सूचनार्थ प्रेषित।

CMO
5/3/19

भवदीय

कृष्णा ट्रेवल्स
2 / 431 सुहाग नगर फिरोजाबाद।

Scanned by CamScanner

eProcurement System Government of Uttar Pradesh
Created By: Vinod Kumar
Created Date/Time: 25-Jan-2019 01:03 PM
Tender Title: MONITORING VAHAN
Tender ID: 2018_DGMH_289032_1

Tender Inviting Authority: < District Health Society Firozabad >

Name of Work: < Monitoring Vahan >

Contract No: < 05612-285074 >

SCHEDULE OF WORK / ITEM(S)

Sl.No	Description of Work / Item(s)	No.of Qty	Units	Item Code	KRISHNA TRAVELS Rate Without Tax	KRISHNA TRAVELS Rate With Tax	L1 Rate Without Tax	L1 Bidder Without Tax	L1 Rate With Tax	L1 Bidder With Tax
1.00	Items :									
1.01	Hiring of 11 nos. Taxi on monthly basis for NHM(District & Block)	1.00	each	item1	32450.00	32450.00	32450.00	KRISHNA TRAVELS	32450.00	KRISHNA TRAVELS
1.02	Hiring of 1 nos. Taxi on Daily basis (For RNTCP)	1.00	each	item2	1100.00	1100.00	1100.00	KRISHNA TRAVELS	1100.00	KRISHNA TRAVELS
1.03	Hiring of 1 nos. Taxi on monthly basis (For IDSP/Other National Programme)	1.00	each	item3	29900.00	29900.00	29900.00	KRISHNA TRAVELS	29900.00	KRISHNA TRAVELS
1.04	Hiring of 1 nos. Taxi on monthly basis (For DPMU)	1.00	each	item4	44450.00	44450.00	44450.00	KRISHNA TRAVELS	44450.00	KRISHNA TRAVELS
1.05	Hiring of Taxi on daily basis in District (When Need)	1.00	each	item5	1550.00	1550.00	1550.00	KRISHNA TRAVELS	1550.00	KRISHNA TRAVELS
1.06	Hiring of Taxi on km basis Out of District(When Need)	1.00	each	item6	12.00	12.00	12.00	KRISHNA TRAVELS	12.00	KRISHNA TRAVELS
	Total in Figures				109462.00	109462.00				